सारण समाहरणालय,छपरा
(जिला स्थापना शाखा)

आवश्यक सूचना

वर्ष 2015 में ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों से कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण हेतु अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा दिनांक-30.09.2018 को लिया गया। लिखित परीक्षा मे उत्तीर्ण 2024 अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर टाईपिंग तकनिकी परीक्षा दिनांक-22.10.2018 से 05.11.2018 के बीच लिया गया। कम्प्यूटर तकनिकी परीक्षा में कुल-1800 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए जिसमे 947 अभ्यर्थी उत्तीर्ण पाये गये। अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं कम्प्यूटर टाईपिंग तकनिकी परीक्षा में प्राप्त अंक जोड़कर मेधा सूची चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है।

1. चूंकि अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं वर्ष-2018 में हीं सम्पन्न की जा रही है फलस्वरूप चयन समिति के निर्णयानुसार वर्त्तमान समय में लागू आरक्षण के नियमों का पालन Counselling/Panel निर्माण में किया जायेगा।
2. अभ्यर्थी परिवर्तित आरक्षण कोटि के संबंध में साक्ष्य सहित अपना दावा Counselling के समय दे सकते हैं जिसकी जांचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
3. 947 अभ्यर्थियों के सूची के क्रमानुसार उनका Counselling निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार कराया जाएगा। किसी विशेष कारण-वश कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो दिनांक-15.12.18 को जिला स्थापना कार्यालय, सारण में उपस्थित होकर Counselling करायेंगे।

टेबुल सं0	कॉन्सलिंग की तिथि		
	12.12.2018	13.12.2018	14.12.2018
1.	1 से 45	322 से 367	644 से 689
2.	46 से 91	368 से 413	690 से 735
3.	92 से 137	414 से 459	736 से 781
4.	138 से 183	460 से 505	782 से 827
5.	184 से 229	506 से 551	828 से 873
6.	230 से 275	552 से 597	874 से 919
7.	276 से 321	598 से 643	920 से 947

4. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक-13062 दिनांक-12.10.2017 द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रपत्र में दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाणपत्र Counselling के समय देना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका दावा स्वीकार नही किये जायेंगे।
5. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के संकल्प ज्ञापांक-13185 दिनांक-03.09.2015 के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2% क्षैतिज आरक्षण के लिए संबंधित अभ्यर्थी को Counselling के समय स्वीकृत पेंशन से संबंधित कागजात या जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र एवं वंशावली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6. Counselling के समय अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट साईज फोटो, मैट्रिक का अंक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आवास प्रमाणपत्र, जन्मतिथि (सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाणपत्र) की फोटोप्रति हस्ताक्षरित एवं मूल प्रमाणपत्र लाना आवश्यक होगा।

7. Counselling के लिए स्थान D.R.D.A सभागार (विकास भवन) निर्धारित किया जाता है। निर्धारित तिथि को 10.30 बजे पूर्वाहन से Counselling प्रारम्भ की जायेगी।

8. Counselling संबंधी विवरण सारण जिला के अधिकारिक वेबसाईट http://saran.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह0/-
जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक– 1849 **/स्था0, दिनांक–** 03-12-18

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण/जिला आई0टी0 प्रबंधक, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं सारण जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि Counselling की तिथि से संबंधित अभ्यर्थी को Message के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे।

01/12/18

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा।